'अग्निपथ' के विरोध में बैनाड़ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़

केन्द्र सरकार का विरोध करने जुटे दो दर्जन युवाओं ने कुर्सी-बैंच और मटकों को तोड़कर रेलवे ट्रेक पर फेंका

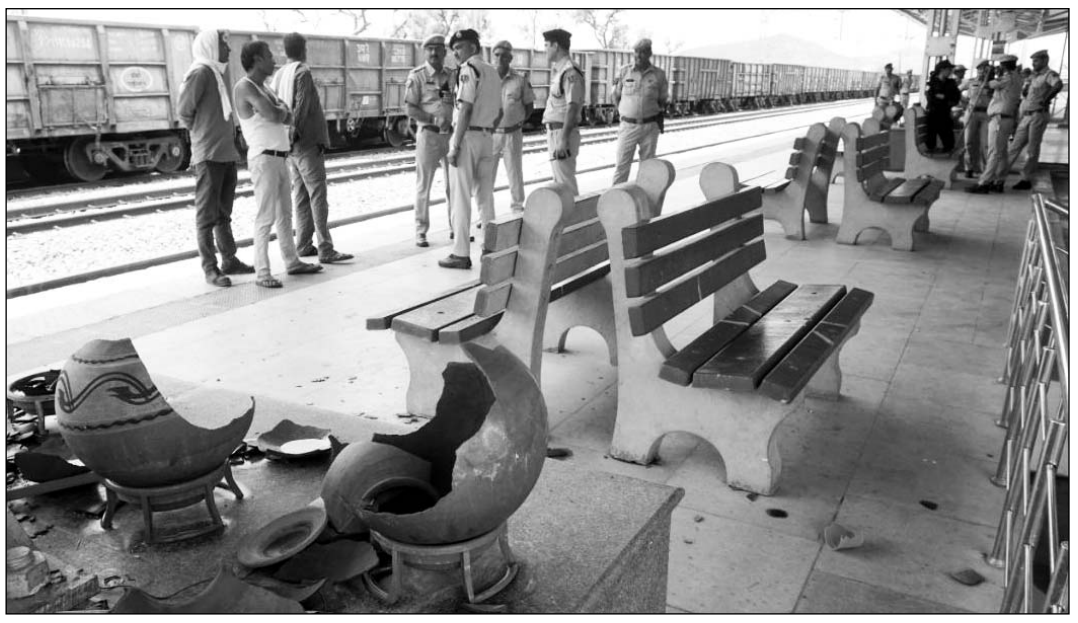

सेना भर्ती की नई स्कीम ''अग्निपथ'' के विरोध में शुक्रवार को बैनाड़ रेलवे स्टेशन पर कुछ युवाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। रेल्वे स्टेशन पर बैंच, कुर्सियों और मटकों में तोड़कर की सूचना पाकर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक उपद्रवी फरार हो चुके थे। इस घटना से यात्रियों के बीच दहशत का माहौल रहा। फोटो-राष्ट्रदूत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केन्द्र सरकार की नई स्कीम ''अग्निपथ'' के विरोध में शुक्रवार को राजधानी जयपुर के बैनाड़ रेलवे स्टेशन पर कुछ युवाओं ने उपद्रव किया। इन लोगों ने रेल्वे स्टेशन पर लगी बैंच, कुर्सियों और मटकों को तोड़कर ट्रेक पर डाल दिया। तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर आरोपी फरार हो गये।

पुलिस ने बताया कि हरमाड़ा इलाके में बैनाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर तोड़फोड़ की गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर रेलवे स्टेशन पर दो दर्जन युवाओं ने प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद बैनाड रेलवे स्टेशन पर लगी बैंच, कुर्सियां और मटकों को तोड़कर रेलवे ट्रेक पर पटक दिया। इस तोड़फोड़ के कारण स्टेशन पर मौजूद लोगों में हंगामे के साथ दहशत फैल गई। सूचना पाकर आसपास के थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी भाग छूटे। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया है। इससे पहले भी करधनी इलाके में लोगों ने कालवाड़ रोड पर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा था। शनिवार को विरोध प्रदर्शन के चलते जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। अधिकारियों ने करीब 30 टोल नाके चिन्हित कर वहां पर करीब 1200 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं। पुलिस तोड़फोड़ करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ सांगानेर में बड़ी संख्या में युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया तो राजस्थान समेत देशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

- **पुलिस बल पहुंचने से पहले ही उपद्रवी मौके से भाग छूटे, अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू**

आईपीडी टावर की ऊंचाई 130 मीटर तक करने की मंजूरी

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बनने वाले आईपीडी टावर की ऊंचाई 130 मीटर तक करने की मंजूरी एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की अपीलीय समिति ने दे दी है। इस मंजूरी के बाद टावर के निर्माण की बाधा दूर हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक जेडीए ने 125 मीटर तक की ऊंचाई की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। पिछले दिनों एयरपोर्ट ऑथोरिटी के अधिकारियों ने मौका-मुआयना किया था। जिसके बाद उन्होंने अपीलीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर यह मंजूरी दी गई है। ज्ञात रहे कि आईपीडी टावर में 23 मंजिला निर्माण के साथ ही दोमंजिला बेसमेंट बनाया जाएगा। इसकी छत पर हैलिकॉप्टर उतारने के लिए हैलीपेड भी बनेगा। प्रदेश की सबसे ऊंची इस इमारत की ऊंचाई 115.5 मीटर प्रस्तावित है। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने 51.48 मीटर तक स्वीकृति दे रखी थी। इस वजह से मामला अपीलीय समिति में गया था। राज्य सरकार इस आईपीडी टावर का काम दो चरणों में पूरा करेगी।

पहले चरण में मंजिलों का निर्माण कराया जाएगा और दूसरे चरण में फिनिशिंग का काम होगा। पहले चरण को पूरा करने की मियाद 2 साल रखी गई है। इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

'यूईएएम को देश के शीर्ष 50 संस्थानों में चुना गया'

जयपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, (यूईएम) जयपुर को एआईसीटीई लीड कार्यक्रम के तहत देश के शीर्ष 50 संस्थानों मे से एक के रूप में चुना गया है। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट विभाग को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा वर्ष 2021-24 के लिए 4 स्टार्ट कैटेगरी का दर्जा दिया गया है।

वाईस चांसलर प्रो. डॉ. बिस्वेजॉय चटर्जी ने बताया कि यूईएम जयपुर परिणाम आधारित शिक्षा, सभी योग्य छात्रों को प्लेसमेंट, अनुसंधान, प्रकाशन, नवाचार व उद्यमिता के लिए समर्थन देता है। साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ छात्र व संकाय विनिमय कार्यक्रम और पूरे देश के छात्रों को मजबूत संकाय भी मुहैया कराता है। उद्योगों के साथ निरंतर संपर्क यूईएम जयपुर को पाठ्यक्रम में नवीनतम और उभरते विषयों और विषयों को शामिल करने में सक्षम बनाता है, ताकि छात्र पास आउट होने पर उद्योग के लिए तैयार हो सकें।

रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के पास एक बहुत मजबूत संस्थान उद्योग सहयोग है जहां 400 से अधिक कंपनियां प्लेसमेंट, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप उद्देश्यों के लिए परिसर में आ रही हैं। यूईएम, जयपुर में पिछले 2 वर्षों में सेमिनार, वेबिनार, एफडीपी, शोधकर्ताओं के व्याख्यान और प्रमुख शिक्षाविदों के आमंत्रित व्याख्यान जैसे लगभग 1300 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे छात्रों और शिक्षकों को सीखने और कुशल बनाने का बेहतर वातावरण प्रदान किया। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन कम से कम एक कार्यक्रम या तो सांस्कृतिक, तकनीकी, वेबिनार, संगोष्ठी या कोई एफडीपी सत्र होता है।

यूनिवर्सिटी उपनिदेशक संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2022 के एक विद्यार्थी को गूगल से 79 लाख रुपये प्रतिवर्ष का ऑफर मिला है और इस विद्यार्थी ने इस वर्ष ही ज्वाइन कर लिया है। साथ ही 2022 चतुर्थ वर्ष के एक विद्यार्थी को अमेरिकन कंपनी में सालाना 15 लाख रुपये का स्टायी फंड के साथ इंटर्नशिप करने का ऑफर मिला है। आपको बता दे यूनिवर्सिटी में 2023 बैच के विद्यार्थियों के लिए भी प्लेसमेंट चालू हो चुके है। उन्होंने बताया कि यूईएएम, प्रदेश का ऐसा निजी विश्वविद्यालय हैं, जिसने इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए 2012 में अपने बैच शुरू किये थे। यूईएम जयपुर राजस्थान के लिए टाइम्स बी-स्कूल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है।

पंजाब एंड सिंध बैंक ने एमएसएमई के लिए ब्याज दरों में कटौती की

जयपुर, (कासं)। देश आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है, 13 जजून से बैंक ने पीएसबी एमएसएमई सत्कार प्लस (पीएसबी एमएसपी) अभियान शुरु किया है जिसमें ब्याज दरों में भारी रियायत दी गयी है। बैंक नये और अधिग्रहण मामलों में प्रसंस्करण शुल्क 100 फीसदी छूट दे रहा है। महामारी के बाद एमएसएमई क्षेत्र को पुर्नजीवित करने और संबल देने के उद्देश्य से अभियान शुरु किया गया है। पीएसबी एमएसएमई सत्कार प्लस, (पीएसबी एमएसपी) अभियान 31जुलाई तक वैध होगा। इस अभियान के दौरान, बैंक ग्राहक बैठकें और क्रेडिट आउटरीच कायरक्रमों का आयोजन करेगा।

हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य

राजस्थान आवासन मंडल को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड

जयपुर (कासं)। राजस्थान आवासन मंडल के कायाकल्प, नवाचारों और सफलताओं के चलते हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी उपलब्धि हासिल की है। स्कॉच ग्रुप ने अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस-2021 रिपोर्ट में राजस्थान को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' प्रदान किया है। स्कॉच ग्रुप ने यह गोल्ड अवार्ड हाउसिंग बोर्ड में हुए कायाकल्प, विगत वर्षों में शानदार प्रदर्शन, सफल योजनाओं और उपलब्धियों के लिए प्रदान किया है। हाऊसिंग बोर्ड की तरफ से यह पुरस्कार मंडल के मुख्य अभियन्ता प्रथम के.सी.मीणा और उप आवासन आयुक्त प्रतीक श्रीवास्तव ने शनिवार को इंडिया गवर्नेंस फोरम के तहत दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में ग्रहण किया। इस उपलब्धि के लिए आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंडल की सम्पूर्ण टीम को बधाई दी है।

कुलपति सचिवालय पर धरना जारी

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर 20 दिनों से चल रहे धरने में शनिवार को कर्मचारी नेता मोहम्मद मुस्तफा का परिवार भी धरने में शामिल हुआ। मुस्तफा की पत्नी धरने स्थल पहुंची और अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि राजस्थान विवि से 30 अप्रैल और 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से की गई रिकवर की गई राशि वापस करने, मृतक सहायक कर्मचारी स्वर्गीय जगदीश मीणा के आश्रितों को मुआवजा राशि 50 लाख रुपए देने, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर कुलपति सचिवालय पर धरना वल रहा है। धरने में कर्मचारियों ने सेवारत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पुन वेतन नियतन पर रोक लगाने की मांग की।

क्या रोडवेज़ के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं?

राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण ने अपने नवीन आदेश में इस मुद्दे को उलझाया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में अलग-अलग निगमों, कॉरपोरेशन और स्वायत्त शहरी संस्थाओं में स्थाई रूप से कार्यरत लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं? अगर सरकारी सर्विसेज़ रूल्स, 1958 या राजस्थान सिविल सर्विसेज़ (सर्विसेज़ मैटस अपेलैट ट्रिब्युनल) एक्ट 1976 को पढ़ा जाये, तो यह जाहिर हो जाता है कि इन सभी निगमों और कॉरपोरेशन के कर्मचारी राज्य या केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं माने जा सकते हैं। परन्तु फिर भी राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर, ने राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी के स्थानान्तरण करने के आदेश पर स्थगन लगाते और कहा कि जिस समय रोडवेज़ ने इस कर्मचारी के स्थानान्तरण के आदेश दिये थे, तब राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किये थे। राजकीय कर्मचारियों के स्थान्तरण पर प्रतिबंध लगा रखा था।

- **राजस्थान सिविल सर्विसेज़ एक्ट 1976 के तहत निगमों, कॉरपोरेशन और शहरी विकास प्राधिकरण जैसी स्वायत्त शहरी संस्थाओं के स्थाई कर्मचारी, राज्य या केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं।**

परन्तु जैसा कि विदित है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण केवल सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले सुन सकता है, रोडवेज के कर्मचारियों के नहीं। यही नहीं अगर कानून को पढ़ा जाये तो राजस्थान न्यायिक सेवा, हाई कोर्ट के कर्मचारी, आर.पी.एस.सी., लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त के साथ-साथ निगमों और कॉरपोरेशन के स्थाई कर्मचारियों को राज्य या केन्द्र सरकार का कर्मचारी नहीं माना जा सकता है और राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता है। परन्तु जयपुर में स्थित सिविल सेवा अपील प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रोडवेज के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई एम.एस. काला और शुभा मेहता ने की थी और आदेश दिये गये थे। उल्लेखनीय है कि शुभा मेहता को कुछ दिनों पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय योग्य है कि वर्ष 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने रोडवेज कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर राज्य सरकार के आदेश से रोक लगाये जाने पर स्वत: संज्ञान लिया था। फिर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि वह किस कानून या नियम के तहत रोडवेज के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश पर रोक लगा रही है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके आधार पर वह ऐसे आदेश दे सकती है। अदालत ने लिखा राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इसके आदेश रद्द कर दिये थे। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर में रोडवेज के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक पर अब 23 जून को सुनवाई होगी और रोडवेज की ओर से अधिवक्ता प्रतीक माथुर पैरवी के लिए पेश होंगे।

एफसीआई ने मोदी का पुतला फूंका

जयपुर (कासं)। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ का राजस्थान में विरोध बढ़ता जा रहा है। राजस्थान विवि. में छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक पहले की तरह सेना में भर्ती निकालने की मांग की। छात्र संगठन एसएफआई के जयपुर जिलाध्यक्ष कपिल राव ने बताया कि सरकार ने संविदा के तहत सेना में भर्ती निकाली है, जो देश के युवाओं के साथ धोखा है। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। उनका कहना था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा सेना भर्ती की तैयारी करते है। पिछले 2 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को केन्द्र सरकार ने तोड़ा है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पडेगा।

सार-समाचार

अनिल गुर्जर बने युवा मोर्चा अध्यक्ष

जयपुर (कासं)। अनिल गुर्जर को पौण्ड्रीक मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति हवामहल विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक, भाजपा जयपुर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा और युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह पुरूवंशी की अनुशंषा पर की गई है। उनकी इस नियुक्ति से स्थानीय युवाओं में जोश का माहौल है, सभी ने साफा और माला पहनाकर अनिल का स्वागत किया।

अमानीशाह नाले में युवक का शव मिला

जयपुर (कासं)। भट्टा बस्ती थाना इलाके में अमानीशाह दरगाह के पीछे नाले में शनिवार दोपहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद शव को बाहर निकलवाया और एंबुलेंस की सहायता से शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि युवक का शरीर कई जगह से गल गया है और शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं। माना ये जा रहा है। कि शव दो से तीन दिन पुराना है।साथ ही भट्टा बस्ती थाने में भी पिछले कुछ दिनों में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फ़िलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुटी है।

चेन स्नेचर और खरीदार गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जिला स्पेशल टीम पूर्व(डीएसटी)और आदर्श नगर थाना पुलिस ने स्कूटी सवार बुजुर्ग दम्पति के गले की चैन स्नैचिंग की वारदात करने वाले स्नेचर सहित लूटी गई चेन खरीदने वाले को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई चेन बरामद की है। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) प्रहलाद सिंह ने बताया कि डीएसटी पूर्व और आदर्श नगर थाना पुलिस ने पांच जून को स्कूटी सवार बुजुर्ग दम्पति गले की चैन स्नैचिंग की वारदात करने वाले शातिर चेन स्नैचर मोहम्मद शाजिद उर्फ मोटा (22) निवासी गलता गेट और लूटी गई चेन को खरीदने वाले हारून निवासी सूरजपोल जयपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से चैन को बरामद किया। गिरफ्तार आरोपित मोहम्मद शाजिद के खिलाफ स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं और वह हर प्रकार के नशे का आदि हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वह सैर सपाटे के लिए निकलता है और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देता हैं।

शादी का झांसा युवती का देहशोषण

जयपुर। करणी विहार इलाके में एक युवती को शादी का झांसा देकर कई सालों तक देह शोषण करने का मामला सामने आया है। पीडिता का आरोप है कि आरोपित ने अश्लील फोटो वीडियो के मार्फ़त उससे रूपए भी ऐंठ चुका है और रुपयों की मांग कर ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीडिता के बयानों के आधार पर मामाल दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मूलत: टोंक हाल इलाके निवासी 21 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि दिसम्बर 2019 में उसकी मुलाकात धीरज वैष्णव से हुई थी और बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। आरोप है कि आमेर घूमने के बहाने आरोपित उसे अपने कनकपुरा सिरसी रोड निवासी दोस्त के रूम पर ले गया। जहां जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर शादी करने का वादा किया और 4 दिन बाद एक मंदिर में ले जाकर झूठी शादी कर ली। इसके बाद 4 महीने तक जयपुर रेलवे स्टेशन के पास देव होटल में हर 2-3 दिन में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा, उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए। आरोपी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये ले चुका है।

करोडों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार

जयपुर। जवाहर सर्किल पुलिस ने अपने दोस्त से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राधा रमण गुप्ता ने बताया आरोपित रामलाल नारवानी (47) निवासी मालवीय नगर को गिरफ्तार किया है। उसने प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को लेकर अपने दोस्त अनिल गुप्ता से 3 करोड़ 88 लाख रु. की धोखाधड़ी की थी।

सरपंच के चुनाव को रद्द कर हारी प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के सरपंच पद पर निर्वाचित याचिकाकर्ता के निर्वाचन को रद्द कर उसके स्थान पर हारी प्रत्याशी को विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी और उपखंड अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश विशनी देवी की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के सरपंच पद के लिए 20 सितंबर 2020 को याचिकाकर्ता सहित नौ लोगों ने चुनाव लड़ा था। जिसमें याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित की गई। वहीं दूसरी स्थान पर रही मूथरी देवी ने निचली अदालत में याचिकाकर्ता के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के निर्धारित कट ऑफ डेट 27 नवंबर 1995 के बाद तीन संतान हैं। इस पर सुनवाई करते हुए गत 25 मई को चुनाव अधिकरण, दौसा ने याचिकाकर्ता के निर्वाचन को रद्द कर दिया और हारी हुई प्रत्याशी मुथरी देवी को विजेता घोषित कर सरपंच का चार्ज देने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के एक संतान होने के बाद बीस अगस्त 2002 को जुड़वा संतान हुई थी। नियमानुसार एक संतान के बाद दूसरी संतान यदि जुड़वा होती है तो भी उसे एक ही इकाई माना जाता है। इसलिए वह चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्वाचित व्यक्ति का चुनाव रद्द होने के बाद दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को उसी स्थिति में निर्वाचित घोषित किया जाता है जब सिर्फ दो लोगों ने चुनाव लड़ा हो। जबकि याचिकाकर्ता के मामले में नौ लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चुनाव अधिकरण के आदेश को रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव अधिकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने गुरुकुल को राहत दी, अन्य संस्थान संचालन की एनओसी रद्द करने पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में चर्चा में आई गुरुकुल शिक्षण संस्थान को राहत देते हुए संस्थान की ओर से संचालित अन्य संस्थानों की एनओसी रद्द करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश गुरुकुल शिक्षण संस्थान की याचिका पर दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 2 जुलाई 2021 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था। वहीं एक जांच के बाद गत 19 अप्रैल को उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पिछले करीब बीस साल से कई संस्थाएं संचालित कर रहा है। वहीं 19 अप्रैल 2022 के आदेश के आधार पर उसकी ओर से अन्य संस्थाएं संचालित करने की एनओसी को रद्द किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्थाएं संचालित करने के लिए सभी तय शर्तें पूरी कर रहा है। इसके अलावा उसे सम्बद्धता भी दी जा चुकी थी। ऐसे में 19 अप्रैल का आदेश अपने आप में मनमाना है। इसलिए इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को अन्य संस्थान संचालित करने की एनओसी को रद्द करने पर रोक लगा दी है।

मालवीय नगर में आवासीय भूखंड पर बना तीन मंजिला कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स सील

जयपुर (कासं)। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को मालवीय नगर में आवासीय भूखंड़ पर बने 3 मंजिला अवैध कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को सील किया। बिल्डिंग मालिक ने बिना जेडीए की अनुमति जीरो सेटबैक पर यह इमारत तैयार की थी।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि मालवीय नगर में आवासीय भूखंड ए-420 की 366.07 वर्गमीटर जमीन पर जीरो सेटबैक पर यह बिल्डिंग बनाई गई है। जेडीए प्रशासन ने 31 दिसंबर 2018 को अवैध निर्माण रूकवाकर बिल्डर को नोटिस थमाया था। इसके बाद 21 फरवरी 2020 को दुबारा नोटिस जारी करके बेसमेंट को छोड़कर शेष 3 मंजिला निर्माण को सील किया था।

इसके बाद भूखंड़ मालिक ने हाईकोर्ट में अपील करके 29 अप्रैल 2022 को सील खुलवाई। जेडीए ने मौके पर गार्ड भी नियुक्त किये, लेकिन भूखंड़ मालिक ने सील मुक्त बिल्डिंग से अवैध निर्माण हटाना शुरू नहीं किया। इस पर 26 मई को पुन: विधिक नोटिस जारी करके 7 दिन में अवैध निर्माण हटाने को पाबंद किया था। इसके बावजूद बिल्डर लगातार मनमानी करता रहा। इस पर शनिवार को जेडीए की प्रवर्तन टीम ने पूर्वानुसार बेसमेंट को छोड़कर शेष बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों पर ताले सील-चपड़ी लगाकर पुन: सीलिंग की।